

केन्द्रीय रेशम बोर्ड CENTRAL SILK BOARD
बेंगलूरु Bengaluru - 560068



संNo.केरेबोCSB-8(3)/2013/समन्वयCoord

दिनांक Date:29.11.2016

परिपत्र CIRCULAR

Sub: Revised rates of damages for unauthorized occupation and damages for subletting of GPRA w.e.f. 01.07.2016 – reg.

It is to inform that vide O.M.No.18011/1/2015-Pol-III, dated 07.09.2016, Govt. of India, Ministry of Urban Development, New Delhi has revised the rates of damages for unauthorized occupation of General Pool Residential Accommodation (GPRA) w.e.f. 01.07.2016 as detailed below:

Revised rates of damages for unauthorized occupation w.e.f 01.07.2016

Station	Type of Accommodation & rates of damages to be charged for the first month				
	Type-I to IV	Type IV (special) to Type-VI and hostel	Type-VII & Type-VIII	Servant quarters	Garages
Delhi	40 times	50 times	55 times	50 times	50 times
Mumbai (a) Hyderabad Estate, Belvedere, Pedder Road, BD Road, Malabar Hill, Colaba and Prabhadevi	120 times	120 times	--	50 times	50 times
Rest of Mumbai	50 times	50 times	--	50 times	50 times

Station	Type of Accommodation & rates of damages to be charged for the first month			
	Type-I to IV	Type V and above and hostel	Servant quarters	Garages
Stations other than Delhi and Mumbai	40 times	50 times	50 times	50 times

PTO


2. Damages for unauthorised Occupation:

The damages will be charged from the date of cancellation of allotment to the date the GPRA is vacated by the unauthorised allottee and the rate of damages for unauthorised occupation for each type of GPRA shall increase in telescopic method from second month onwards i.e. for second month - damages + 10% of rate of damages; for third month - damages + 20% of rate of damages; for fourth month - damages 40% of rate of damages; and so on, limiting to the maximum 5 times of rates of damages charged during the first month of unauthorised occupation.

3. Water charges, Furniture charges etc, if applicable, will be charged apart from the above mentioned damages at the normal rates only.

This supersedes all the OMs issued by Directorate of Estates on the above issue. The rates of damages are effective from 01.07.2016 and will also be in force till next revision of damage rates.

Accordingly, necessary action may be taken at their end to recover the damage charges at the revised rates mentioned above from the unauthorized occupants of CSB staff quarters. In this connection, Swamy's News for the month of November 2016 may also please be referred to.



(K.K.SHETTY)
Joint Secretary (Tech)

To
All R & D Institutes
of CSB



केन्द्रीय रेशम बोर्ड CENTRAL SILK BOARD
(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार Ministry of Textiles - Govt. of India)
केरेबो कॉम्प्लेक्स, बी टी एम लेआउट, मडिवाला
CSB Complex, BTM Layout, Madiwala
बैंगलूरु Bangalore - 560068

सं. केरेबो-8(3)/2013/समन्वयन

दिनांक : 29.11.2016

परिपत्र

विषय : दिनांक 01.07.2016 से अनधिकृत दखल हेतु क्षति के लिए संशोधित दर और जीपीआरए खाली करने से इनकार करने के लिए क्षति/दण्ड के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित किया जाता है कि भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 07.09.2016 के कार्यालय जापन सं. 18011/1/2015-पोल-3 के माध्यम से जीपीआरए के अनधिकृत दखल के लिए क्षति के दर दिनांक 01.07.2016 से संशोधन किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

दिनांक 01.07.2016 से अनधिकृत दखल से हुई क्षति के लिए संशोधित दर

केंद्र	आवास के प्रकार एवं पहले महीने के लिए लगाने वाले क्षति के दर				
	प्रकार I - IV	प्रकार IV-VI एवं छात्रावास	प्रकार VII एवं प्रकार VIII	सेवक आवास	गैरेज
दिल्ली	40 गुना	50 गुना	50 गुना	50 गुना	50 गुना
मुम्बई (ए) हैदराबाद, बेलवेडर, पेड्डर रोड, वीडी रोड, मलबार हिल, कोलाबा और प्रभादेवी	120 गुना	120 गुना	---	50 गुना	50 गुना
मुम्बई के अन्य जगह	50 गुना	50 गुना	---	50 गुना	50 गुना

केंद्र	आवास के प्रकार एवं पहले महीने के लिए लगाने वाले क्षति के दर			
	प्रकार I - IV	प्रकार V एवं इससे अधिक और छात्रावास	सेवक आवास	गैरेज
दिल्ली एवं मुम्बई को छोड़ कर अन्य केंद्र	40 गुना	50 गुना	50 गुना	50 गुना

2. अनधिकृत दखल के लिए क्षति दर :

क्षति दर आवंटन रद्द करने के दिनांक से अनधिकृत आवंटन प्राप्तकर्ता द्वारा जीपीआरए खाली करने के दिनांक तक लगायी जाएगी। प्रत्येक प्रकार के जीपीआरए के लिए अनधिकृत दखल से हुई क्षति के दर द्वितीय महीने से टेलिस्कोपिक पद्धति से बढ़ जाएगी अर्थात् द्वितीय महीने के लिए क्षति + क्षति दर के 10%, तृतीय महीने के लिए क्षति + क्षति दर के 20%, चौथा महीने के लिए क्षति + क्षति दर के 40% तक, और अनधिकृत दखल के प्रथम महीने के दौरान क्षति दर के अधिकतम 5 गुना तक सीमित होगा।

3. उपर्युक्त क्षति प्रभार के अतिरिक्त पानी खर्च, साज-सामान खर्च आदि, यदि लागू हो तो, केवल सामान्य दर में वसूल की जाएगी।

यह जापन उक्त मामले में संपत्ति निदेशालय द्वारा जारी किए गए सभी कार्यालय जापनों को अधिक्रमण करता है। क्षति दर दिनांक 01.07.2016 से लागू है और क्षति दरों के अगले संशोधन करने तक जारी रहेगी।

तदनुसार, उपर्युक्त संशोधित दर के.रे.बो. कर्मचारी आवासों को अनधिकृत दखल किए व्यक्तियों से वसूल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई आपके कार्यालय में की जाए। इस संबंध में, नवंबर, 2016 के स्वामीस न्यूज को कृपया देखें।



(के. के. शेट्टी)
संयुक्त सचिव (तकनीकी)

सेवा में